



**कार्यालय,  
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथम/परिषद सम्प्रदाय/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-8-2020

**:-कार्यालय धाप:-**

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही कार्यालय अीक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संकेत सं. 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय सम्प्रदायों के अनुमोदन प्रदान किए जाने से संबंधित प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से सम्प्रदाय/सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अग्रा, प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संभल हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्प्रदाय/पूर्व से संबन्धित संस्थाओं को सम्प्रदाय विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि समित अन्त में पर विचार करने हेतु सं. 2020-21 हेतु सम्प्रदाय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

इसके अनुक्रम में सम्प्रदाय समिति की बैठक के पर-3 में निर्धारित इन कार्यवाही पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्ण से सम्प्रदाय संस्थाओं का प्रस्ताव रखा गया। सम्प्रदाय समिति द्वारा सहन विचार-विमर्श कर विनियम निर्णय लिया गया :-

"किसी संघ में स्थापित विनियम इन कार्यवाही पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ से पूर्ण से सम्प्रदाय हैं, एवं सं. 2020-21 हेतु पीसीआईए द्वारा उन्हें समावेश अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीसीआईए द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनसे प्राप्त हो सामुदायिक पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सं. 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीसीआईए द्वारा प्रदान अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सं. 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आरूढ सम्प्रदाय समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2020 लखनऊ द्वारा सं. 2020-21 हेतु विनियमित शर्तों के अन्तर्गत पाठ्यक्रम एवं उचित अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्प्रदाय विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था सं. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीसीआईए द्वारा सं. 2020-21 में अनुमोदित सर्वसं संस्था	पीसीआईए /परिषद द्वारा सं. 2020-21 में अनुमोदित सर्वसं संस्था
1	1228	एन सीएस इंस्टीट्यूट अीक कार्गो, 7 किलो मीटरों रोड, कार्गो, मुजफ्फर।	विशेष इन कार्गो	00	00

**सम्प्रदाय हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था एन सीएस इंस्टीट्यूट अीक कार्गो द्वारा विनियमित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था अपने प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 2022 संकेत सं. विनियमवली-2018 तथा अन्य विनियम विनियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा मुख्य विद्यालय समिति द्वारा निर्धारित मुख्य वीक सर्विस शुल्क पाठ्यक्रमों हेतु ₹ 20,00,000/- प्रीमियम, जो सर्वसं कार्गो पाठ्यक्रम हेतु ₹ 20,00,000/- प्रीमियम एवं एक वया से वीक पाठ्यक्रमों हेतु वीक कार्गो पाठ्यक्रम से अतिरिक्त हेतु ₹ 20,00,000/- प्रीमियम शुल्क ही प्रत्येक प्राय/प्राय से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त प्राय/प्रायों से शुल्क के सम्बंध में प्राय-प्राय का साहज्य प्राप्त किया किये जाने वाले साहज्यदेय प्रभावी होने, और सदस्यार कार्यवाही किए

*(Handwritten signature)*

जांच अवलोकन होगा। नीचे निर्धारित तारीखें प्राप्त करि कर 2020-21 हेतु सीमा एवं पुनर्निर्माण किया जाता है, तो नीचे की तारीखें एवं तारीखें।

- ✓ संस्था को (अनुसूचित शिक्षा समिति) एवं एवं समितियों संस्थाओं को समर्थ किया जाना। विधिवत-2020 की तारीखें अनुपालन करण होगा।
- ✓ संस्था में समुचित प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा अर्हताएं प्राप्त होने की प्रवेश दिनांक जारीगा। सीमा के भीतर एवं बाहर की विधि में उचित प्रवेश प्रदान के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निरंतर साक्षात्कार के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना होगा।
- ✓ संस्था को एडमिनिस्ट्रेशन/प्रीवेंटिव हेल्थ से अनाथों एवं हेतु अनुसूचित प्राप्त किया जाना अवलोकन होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश प्रदान द्वारा कराये गये विधि/विधियों/अभियन्तों/साक्षात्कारों/निर्देशों एवं निदेशक प्रविधिक विभाग, एडमिनिस्ट्रेशन, अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रवेश एवं प्रविधिक विभाग परिषद, एडमिनिस्ट्रेशन, विधि/विधियों/अभियन्तों का पालन करने के लिये कार्य करायेगी।
- ✓ विद्यार्थी एवं कार्यवाही पर्यवेक्षण की कार्यवाही एवं प्रीवेंटिव हेल्थ से अनुसूचित प्राप्त करने में अनाथ कार्य है तो इस संबंध में साक्षात्कार पर्यवेक्षण संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था पर कार्यवाही होगी। प्रविधिक विभाग परिषद, अनुसूचित प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रविधिक विभाग निर्देशानुसार एवं प्रविधिक विभाग विभाग द्वारा प्रवेश प्रदान को संबंधित कार्य कराये गये हैं एवं कार्य कराये जाने के लिये संस्था में पर्यवेक्षण द्वारा किसी प्रकार की प्रीवेंटिव कार्यवाही अर्हता निर्देश किया जाता है तो संस्था प्रविधिक संस्थित संस्था को कराये होगी।
- ✓ विद्यार्थी एवं कार्यवाही पर्यवेक्षण संबंधित करने वाली कार्यवाही को समुचित प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रवेश प्रवेश प्रदान द्वारा प्रवेश एवं के लिये अनाथित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यवाही प्राप्त होने के पूर्व प्रीवेंटिव हेतु अनुसूचित प्राप्त कर परिषद संबंधित एवं पर्यवेक्षण करना होगा अर्थात् एवं प्रवेश की (अनुसूचित) के माध्यम से अनाथ प्रवेश प्राप्त पर सीमा प्रवेश) अनुसूचित नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ प्रवेश प्रवेश संस्था द्वारा प्रवेश हेतु निरंतर तारीखें प्राप्त किया एवं अनुपालन करण अवलोकन होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सूचनाएं, साक्षात्कार-संस्था, संस्थागत, एवं किया जाने वाला सुनिश्चित, पर्यवेक्षण सुनिश्चित आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-प्रदान हेतु अनुसूचित प्रदान करण एवं साक्षात्कार प्रदान एवं साक्षात्कार के लिये संस्था में समस्त अवलोकन पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराये होगी।
- ✓ संस्था एवं सुनिश्चित है कि संस्था में प्रदानित/संबंधित पर्यवेक्षण एवं प्रदान एवं हेतु निरीक्षण समिति के लिये उपलब्ध करने एवं प्रविधिक, सुनिश्चित, कार्यवाही, पर्यवेक्षण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पर्यवेक्षण के संस्थान में प्रदान किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था पर्यवेक्षण एवं प्रदान किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो पर्यवेक्षण संस्था की सम्बद्धता संस्था किसी अन्य की अनुसूचित की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता कार्य एवं अनुपालन न किया जाने अर्थात् कार्य का उपलब्ध किया जाने की शक्ति में निम्नानुसार अनुसूचित कार्यवाही की जायेगी।

(सह अध्यक्ष सिंह)  
सचिव

पुणे-2020-21/प्रवेश/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1872-2141

तद दिनांक: 15-09-2020

प्रविधिक-प्रदानाधिक/निदेशक, रक्षा सचिव इन्स्टीट्यूट ऑफ कार्यालय 7 विनी किलारी रोड, जयपुरी, मुंबई-400001।

(सह अध्यक्ष सिंह)

सचिव

## आज्ञापन

शुचिब. प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सरकार

संख्या- प्रावि/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संघनक- दिनांक- 09/08/2021

### सम्बद्धता सापेक्ष

शुचिब. भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पारसी की कउजिलत ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सीडिआ सं. 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 18/08/2021 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सं. 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता बढ़ि सहित अन्य सटी पर विचार करते हुए सं. 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ. प्र. सरकार द्वारा सं. 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 1049-RADHA GOVIND COLLEGE OF PHARMACY 7TH KM KUNDARKI ROAD, NEAR RTO OFFICE, MORADABAD-244001

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	राज्यीय/राज्यीय/राज्यीय/राज्यीय द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सं. 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था राज्यीय/राज्यीय/राज्यीय/राज्यीय द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1992, रेगुलेशन विनियमवारी-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों हेतु ₹0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों के पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के लिये) पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही पर्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर सलत द्वारा निर्मित किन्हे जाने जाने सामग्रीस प्राप्त होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा यदि सं. 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की नवीनतम दर लागू होगी।

संस्था को (उपरो) प्राथमिक शिक्षा अधिनियम तथा उप अधिनियम, संशोधन को सम्बन्ध विधि द्वारा) विनियमनकारी-2010 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित शर्तों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटी के तहत एक छात्रों की शिफारिश में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।

✓ संस्था को भारत सरकार पर निर्भरता समाप्त करके अनुभवा विरीक्षण एवं सम्बद्धता शुरू करना करना होगा।

✓ संस्था को 70.41% (सीटी) (4.92% सीटी) (3.54%) से आगामी सर (इन्) अनुभवा विरीक्षण शिक्षा उच्च अकादमी होगा।

✓ संस्था इन्ध पढ़ेस शासन द्वारा बताये गये विनियमनों/अधिनियमों/आयजमेंटों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उपरो, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उपरो तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उपरो द्वारा बताये गये नियमों, विनियमों, जर्नलों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

✓ विनियमन इन शर्तों पर लागू करने की संस्थाएं यदि वे की जाती नई दिल्ली से अनुभवा विरीक्षण करने में आसक्त रहती है तो इस संघ में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उच्च प्रदेश शासन को कोई भी हस्तक्षेप किया जाता है तथा हस्तक्षेप के संबंध में या स्थापनाएं द्वारा किसी प्रकार की बाधों/अवरोधों/अवरोधों किया जाता है तो संस्था बाधों/अवरोधों संबंधित शर्तों को करनी होगी।

✓ विनियमन इन शर्तों पर लागू करने संबंधित करने वाली शर्तों/शर्तों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा (इन्) अधिनियम द्वारा करने के पूर्व (सीटी) (3.54%) से अनुभवा विरीक्षण एवं परिषद कार्यवाही को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आयोजित) के माध्यम से अथवा संस्था सर पर सीपी प्रवेश) अनुमति नहीं कटान की जायेगी।

✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश (इन्) निर्भरता समाप्त करके संस्था को अनुभवा विरीक्षण करना आवश्यक होगा।

✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की वित्तीय वृत्ति-भूमि, स्टॉक, सहायक-संयुक्त, उपकरण, बाधा विना करने बाधा शुरू, उपकरण शुरू आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।

✓ संस्था को शिक्षण-प्रतिष्ठान (इन्) उपयुक्त कारणों/उपलब्ध करने के साथ शिक्षा बॉर्डर के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

✓ संस्था यह सुनिश्चित हो के कि संस्था में प्रस्तावित संयोजित प्रदाताओं के सम्बन्ध में (इन्) विरीक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध करने लिये अधिनियम, भूमि-मन्त्र, कमीशन, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रदाताओं के संयोजन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता सम्बन्ध विधि जाने की अनुमति की जायेगी।

✓ संस्था के वार्षिक विरीक्षण वार्षिक विरीक्षण में भूमि, मन्त्र, परीक्षा/सहायक, उपकरण एवं अन्य सहायक-संयुक्त 70.41% (सीटी) (4.92% सीटी) (3.54%) परिषद के समस्त आवश्यक उपकरण नहीं प्राप्त आता है तो संस्था की सम्बद्धता शासन का ही जायेगी।

✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुभवा विरीक्षण न करने वाले प्रथम शर्तों का उपलब्ध नहीं करने की शिफारिश में विनियमन/अनुभवा विरीक्षण कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पु0सं0- प्राविप/परिषद् सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि -

प्रधानाचार्य/डिरेक्टर, RADHA GOVIND COLLEGE OF PHARMACY 7TH KM KUNDARKI  
ROAD, NEAR RTO OFFICE, MORADABAD-244001



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव